*भारत में वित्तीय समावेशन - एक मूल्यांकन**

पी. विजयभास्कर

'निर्धनता पर विजय पाना धार्मिक कार्य नहीं है। यह एक न्यायिक क्रिया है। यह मानव के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है, गौरवशाली और उत्तम जीवन का अधिकार है। जब तक गरीबी रहेगी, तब तक सही अज़ादी नहीं मिलेगी।

कभी-कभी यह स्थिति उन पीढ़ियों पर आ पड़ती है जो महान होती हैं। वह महान पीढ़ी आपकी भी हो सकती है। अपनी महानता को पल्लवित होने दीजिए। माना कि यह कार्य आसान नहीं है, किंतु यह कार्य न करना मानवता के प्रति अपराध है, मैं समस्त मानव समाज से कहना चाहूंगा कि वे इसके विरुद्ध खड़े हो जाएं।'

- नेलसन मण्डेला

''हमारी प्रगति की परख यह नहीं है कि हम उन लोगों के लिए और अधिक जोड़ते जाएं जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है; बल्कि परख यह है कि जिनके पास बहुत कम है उन्हें पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराएं।''

- फ्रैंकलिन डी. रूसवेल्ट

''निर्धनता, हिंसा का सबसे बुरा रूप है''

- महात्मा गांधी

''यदि गरीबों की बदहाली का कारण प्राकृतिक नियम के बजाय हमारी संस्थाएं हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता''।

- चार्ल्स डार्विन

प्रस्तावना

वित्तीय समावेशन को राष्ट्र के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक अथक प्रयास कर रहे हैं। पिछले पांच दशकों में इस दिशा में जो प्रमुख प्रयास किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं: बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य के प्रति अधिदेश प्रारंभ करना, अग्रणी बैंक योजना, स्वयं-सहायता समूहों का निर्माण, बैंकों द्वारा दरवाज़े तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बीसी/बीएफ मॉडल की अनुमति देना, शून्य राशि से बीएसबीडी खाते खोलना आदि। इन सब पहल के पीछे मूलभूत मकसद यह था कि भारत की एक ऐसी बड़ी आबादी तक पहुंच बनाना जो वित्तीय सेवाओं से अभी तक वंचित है।

यह भाषण पांच भागों में विभक्त है :

भाग 1 - परिभाषा

भाग 2 - वित्तीय वंचन की सीमा

भाग 3 - रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल और वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति

भाग 4 - वत्तीय समावेशन में हितधारकों के हिसाब से मुद्दे

भाग 5 - निष्कर्ष और भावी मार्ग

भाग - 1

परिभाषाएं

1.1 वित्तीय समावेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रभावित लोगों के समूह जैसे कमज़ोर तबके तथा कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं देना तथा वहन योग्य लागत पर उन्हें समय से एवं पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाता है (वित्तीय समावेशन से संबंधित समिति, अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन)।

1.2 मोटे तौर पर वित्तीय समावेशन का आशय है उचित लागत पर बड़े पैमाने पर वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता। इसमें केवल बैंकिंग उत्पाद ही शामिल नहीं है बल्कि अन्य वित्तीय सेवाएं भी शामिल हैं जैसे - बीमा और इक्विटी उत्पाद (वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित समिति, अध्यक्ष : रघुराम जी. राजन)। गृहस्थों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की स्थिति चित्र-I में प्रस्तुत की गई है।

1.3 वित्तीय समावेशन का सार यह है कि वित्तीय सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना जिसमें शामिल हैं - बचत करने तथा लेनदेन हेतु बैंक खाता; उत्पादन, व्यक्तिगत और अन्य उद्देश्यों से कम लागत

---

* श्री पी. विजय भास्कर, कार्यपालक निदेशक द्वारा नई दिल्ली में 10 दिसम्बर 2013 को एमएफआइएन एंड एक्सेस-असिस्ट सम्मेलन में दिया गया व्याख्यान । श्री एम. श्रीरामुलु, सहायक महाप्रबंधक, गैबैंपवि, भारिबैंक, केंका द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति हार्दिक अभार।

चित्र I : वित्तीय सेवाओं तक गृहस्थों की पहुंच

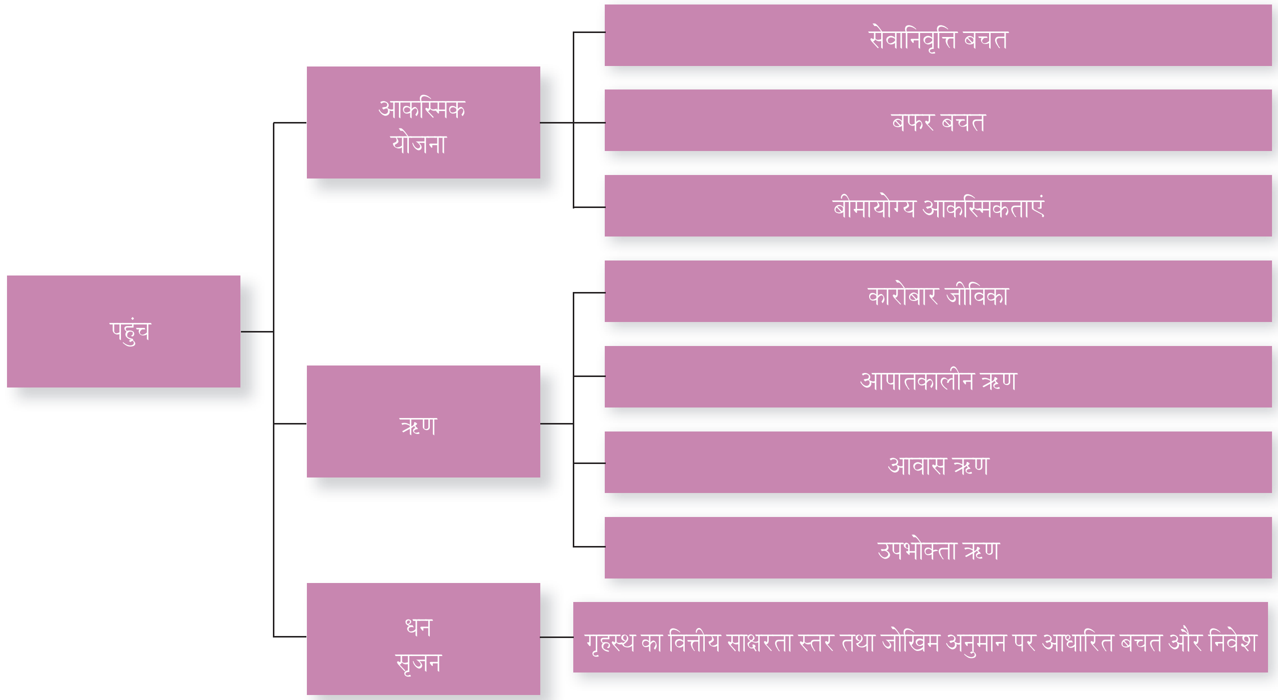

स्रोत : छोटे-छोटे सौ कदम - वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : डॉ. रघुराम जी. राजन)

पर ऋण, वित्तीय परामर्श सेवाएं, बीमा सुविधाएं (जीवन और जीवन से इतर) आदि।

वित्तीय समावेशन किस लिए ?

1.4 वित्तीय समावेशन से वित्तीय प्रणाली का संसाधन आधार बढ़ता है जिसमें ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से में बचत करने की संस्कृति विकसित होती है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इसकी स्वयं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा, कम आय वर्ग के लोगों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की सीमा में लाने से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया उन्हें आपात स्थितियों में धन की एवं अन्य संसाधनों की सुरक्षा प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन, औपचारिक रूप से ऋण हासिल करने की पहुंच को आसान बनाती है जिससे प्रभावित वर्ग के लोगों का सूदखोर साहूकारों द्वारा दोहन समाप्त होता है।

1.5 ग्रामीण क्षेत्र में गिनी[1] का 2004-05 में गुणांक 0.26 था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 0.28 हो गया और इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्र में गुणांक 0.35 से सर्वाधिक बढ़कर 0.37 था।

[1] स्रोत : गृहस्थ उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। गुणांक शून्य से एक के बीच था। शून्य का अर्थ है सटीक समानता और एक का अर्थ है सटीक असमानता।

भाग 2
वित्तीय समावेशन की सीमा

इस भाग में, वित्तीय समावेशन की सीमा को पांच अलग-अलग दृष्टिकोण/परिदृश्य से प्रस्तुत किया गया है जिनके आंकड़े पांच भिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे -

(ए) एनएसएसओ 59 वां सर्वेक्षण परिणाम

(बी) भारत सरकार जनसंख्या जनगणना 2011

(सी) क्रिसिल - इन्क्लूसिक्स

(डी) 'भारत में वित्तीय समावेशन - पश्चिम बंगाल का अध्ययन' से संबंधित रिज़र्व बैंक पेपर श्रृंखला अध्ययन तथा

(ई) विश्व बैंक का 'वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण' परिणाम

2.1 एनएसएसओ 59 वां सर्वेक्षण परिणाम[2]

- 51.4 प्रतिशत किसान गृहस्थ औपचारिक/अनौपचारिक दोनों स्रोतों से वित्तीय सेवा से वंचित हैं।

[2] अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, एनएसएसओ 59 वां चक्र

चार्ट 1 : ग्रामीण गृहस्थों की औपचारिक और अनौपचारिक ऋण सुविधा के प्रति पहुंच

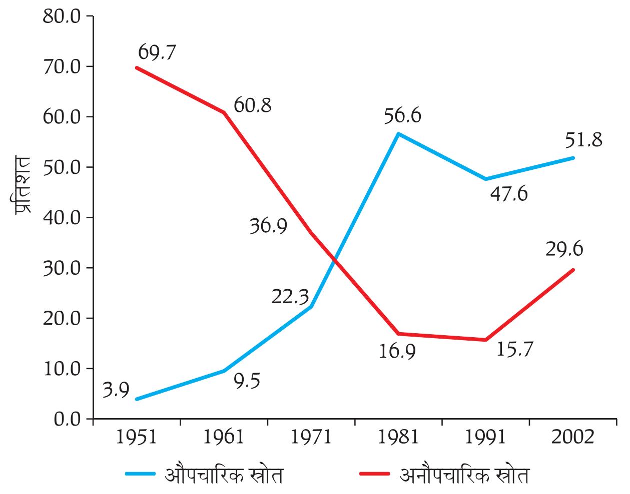

स्रोत : रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर : 05/2013

चार्ट 2 : बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना

स्रोत : वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार

- कुल किसान गृहस्थों में से, केवल 27 प्रतिशत की ही औपचारिक ऋण सुविधा तक पहुंच है; इस समूह के एक-तिहाई लोग ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेते हैं।
- समग्र रूप से, 73 प्रतिशत किसान गृहस्थों की ऋण के औपचारिक स्रोतों तक कोई पहुंच नहीं है।
- सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो, वित्तीय वंचन की स्थिति मध्य, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में अधिक गंभीर है। तीनों क्षेत्र में मिलाकर देश में 64 प्रतिशत किसान गृहस्थ ऐसे हैं जो सभी प्रकार की वित्तीय सेवा से वंचित हैं। इन तीनों क्षेत्रों में इनका औपचारिक वित्तीय स्रोत से कुल कर्ज केवल 19.7 प्रतिशत है।
- किंतु, पांच दशकों में ग्रामीण गृहस्थों द्वारा औपचारिक स्रोतों[3] से वित्तीय सुविधा लिए जाने में समग्र रूप से वृद्धि हुई है (चार्ट : 1)।

2.2 भारत सरकार जनगणना 2011

- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के केवल 58.7 प्रतिशत गृहस्थ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। किंतु, 2001 की पिछली जनगणना की तुलना में अब बैंकिंग सुविधाएं लेना काफी बढ़ गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ गई हैं (चार्ट 2)।

2.3 क्रिसिल वित्तीय समावेशन सूचकांक (इन्क्लूसिक्स)

- क्रिसिल ने जून 2013 में पहली बार बृहत् वित्तीय समावेशन सूचकांक (अर्थात् इन्क्लूसिक्स) प्रकाशित किया। सूचकांक के निर्माण के लिए क्रिसिल ने बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर अर्थात् शाखा का फैलाव[4], जमाराशियों का विस्तार[5] तथा ऋण विस्तार[6] का निर्धारण किया है।
- क्रिसिल का इन्क्लूसिक्स यह दर्शाता है कि भारत में वित्तीय समावेशन में समग्र रूप से वृद्धि हुई है (चार्ट 3)।
- क्रिसिल इन्क्लूसिक्स (100 के मान पर)मार्च 2009 में 35.4 था जो मार्च 2010 में बढ़कर 37.6 हो गया और मार्च 2011 में बढ़कर 40.1 हो गया ।

[3] औपचारिक स्रोतों में एससीबी (आरआरबी सहित) से ऋण और को-ऑपरेटिव सोसायटी/बैंक से ऋण तथा अनौपचारिक स्रोतों में कृषि और पेशेवर साहूकारों से ऋण शामिल हैं।

[4] शाखा के फैलाव को प्रति एक लाख आबादी पर एक बैंक शाखा के हिसाब से गणना की गई है।

[5] इसे प्रति एक लाख आबादी पर जमाराशि खातों की संख्या के आधार पर मापा गया है।

[6] ऋण विस्तार को तीन मापों के औसत अर्थात् (एक लाख आबादी पर ऋण खातों की संख्या, एक लाख आबादी पर छोटे उधार खाते तथा एक लाख आबादी पर कृषि अग्रिमों की संख्या) पर मापा गया है।

चार्ट 3 : क्रिसिल - इन्क्लूसिक्स

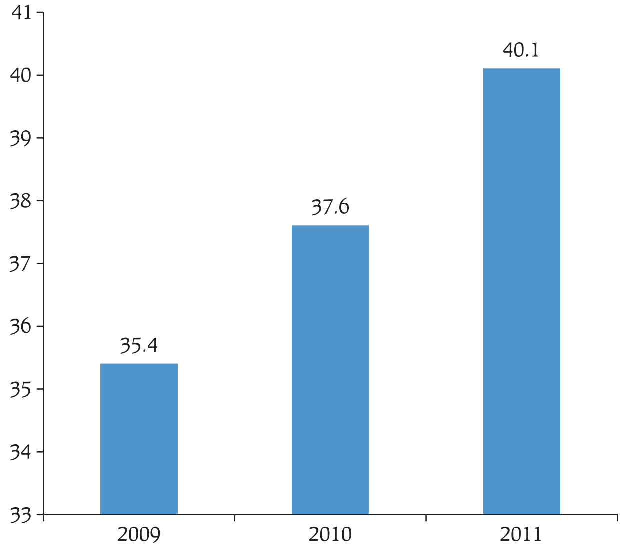

स्रोत : क्रिसिल

2.4 रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर अध्ययन

- सधन कुमार[7] (2011) ने वित्तीय समावेशन के संबंध में एक सूचकांक तैयार किया है जो तीन चरों पर आधारित है अर्थात् (वयस्क व्यक्तियों की संख्या जिनके पास खाते हैं),बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता (1000 आबादी पर बैंक शाखाओं की संख्या) और उपयोग (बकाया ऋण और जमाराशियों के रूप में मापा गया)। नतीजे यह बताते हैं कि केरल,महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे अधिक वित्तीय समावेशन हुआ है (आइएफआइ> 0.5), जबकि तमिलनाडु,पंजाब,आंध्र प्रदेश,हिमाचलप्रदेश,सिक्किम,तथा हरियाणा में मध्यम स्तर का वित्तीय समावेशन हुआ है (आइएफआइ < 0.5) और शेष राज्यों में वित्तीय समावेशन बहुत ही कम हुआ है ।

2.5 विश्व बैंक के 'वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण' के नतीजे

- नीचे दी गई सारणी 1, से यह देखा जा सकता है कि हमारे देश में वित्तीय वंचन को बैंक शाखा घनत्व, एटीएम, घनत्व, जीडीपी की तुलना में बैंक ऋण और जीडीपी की तुलना में बैंक जमा के आधार पर मापा गया है जो विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की तुलना में बहुत ही कम है।

सारणी 1 : वित्तीय समावेशन के चुनिंदा संकेतक, 2011

क्रम. सं.	देश	बैंक शाखा की संख्या	एटीएम की संख्या	बैंक शाखा की संख्या	एटीएम की संख्या	बैंक जमाराशि	बैंक ऋण
		प्रति 1000 किमी		प्रति 0.1 मिलियन		जीडीपी का प्रतिशत	
1	भारत	**30.43**	**25.43**	**10.64**	**8.9**	**68.43**	**51.75**
2	चीन	1428.98	2975.05	23.81	49.56	433.96	287.89
3	ब्राज़ील	7.93	20.55	46.15	119.63	53.26	40.28
4	इंडोनेशिया	8.23	15.91	8.52	16.47	43.36	34.25
5	कोरिया	79.07	...	18.8	...	80.82	90.65
6	मारिशस	104.93	210.84	21.29	42.78	170.7	77.82
7	मेक्सिको	6.15	18.94	14.86	45.77	22.65	18.81
8	फिलीपींस	16.29	35.75	8.07	17.7	41.93	21.39
9	दक्षिण अफ्रीका	3.08	17.26	10.71	60.01	45.86	74.45
10	श्रीलंका	41.81	35.72	16.73	14.29	45.72	42.64
11	थाइलैंड	12.14	83.8	11.29	77.95	78.79	95.37
12	मलेशिया	6.32	33.98	10.49	56.43	130.82	104.23
13	यूके	52.87	260.97	24.87	122.77	406.54	445.86
14	अमरीका	9.58	...	35.43	...	57.78	46.83
15	स्विटज़रलैंड	84.53	166.48	50.97	100.39	151.82	173.26
16	फ्रांस	40.22	106.22	41.58	109.8	34.77	42.85

स्रोत : वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण : अंमुको : यूके से संबंधित आंकड़े वर्ष 2010 के हैं।

[7] रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर सीरिज़ (डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर):8/2011), सधन कुमार चट्टोपाध्याय

भाग - 3

3.1. वित्तीय समावेशन- भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए बैंक-जन्य मॉडल अपनाया है और देश में बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में सभी प्रकार की विनियामक रुकावटों को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक प्रेरक माहौल तैयार किया है तथा बैंकों को उनके वित्तीय समावेशन प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत सहायता भी प्रदान की है (बॉक्स - I)।

3.2. हाल में किए गए उपाय

- **नये बैंकों को लाइसेंस :** इस समय नए बैंकों को लाइसेंस देने की जो कवायद चल रही है उसका मकसद है कि अपने देश में

बॉक्स 1 : वित्तीय समावेशन पहल

- सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे न्यूनतम सामान्य सुविधा सहित *मूलभूत बचत बैंक जमाराशि (बीएसबीडी)* खाता खोलें जिसमें शून्य न्यूनतम राशि, बैंक शाखा तथा एटीएम में जमा करने एवं पैसे निकालने, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से पैसा प्राप्त करने/जमा करने, एटीएम कार्ड देने की सुविधाएं होनी चाहिए।
- *उदार और सामान्य केवाइसी मानदण्ड* हों ताकि खाता खोलने में आसानी हो, खासतौर से छोटे खातों के लिए जिसमें जमाराशि 50,000 रुपए से अधिक न हो तथा सकल जमा एक लाख रुपए से अधिक न हो। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि ग्राहकों का खाता खोलते समय परिचय देने का आग्रह न करें। इसके अतिरिक्त, बैंक आधार कार्ड को पहचान और पते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।[8]
- *बैंक प्राधिकरण नीति को आसान* बनाया गया ताकि बैंक शाखा के असमान फैलाव की समस्या सुलझ सके, घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को टियर 2 से टियर 6 केंद्रों पर एक लाख से कम आबादी के लिए सामान्य अनुमति के अंतर्गत मुक्त रूप से शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई बशर्ते कि उसकी सूचना दी जाए। उत्तरी-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंक, रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शाखाएं खोल सकते हैं। इसे और अधिक उदार बनाते हुए, घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कतिपय शर्तों के अधीन केंद्र 1 में शाखाएं खोलने की सामान्य अनुमति दी गई।
- *बैंक रहित गांवों में शाखाएं खोलना अनिवार्य अपेक्षा* है, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित (टियर 5 व टियर 6) ग्रामीण केंद्रों में खोलें।
- फिलहाल *पक्के मकान में शाखा* खोली जाए, बैंकों को यह सूचित किया गया कि कारगर नकदी प्रबंधन, प्रलेखन, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण और कारोबार संपर्की के कार्यों के गहन पर्यवेक्षण के लिए वर्तमान शाखा तथा बीसी के स्थान के मध्य फिलहाल एक पक्के मकान में वित्तीय सेवाएं प्रारंभ करें। इस प्रकार की शाखा एक कम लागत वाले पक्के मकान में न्यूनतम सुविधाओं के साथ होगी जैसे - कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ टर्मिनल हो, पासबुक प्रिंटर हो तथा नकदी रखने के लिए तिजोरी हो ताकि ग्राहकों के अधिक से अधिक लेनदेन किए जा सकें।
- सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अप्रैल 2010 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन की योजना अनुमोदन के लिए अपने बोर्ड को प्रस्तुत करें। इन नीतियों का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकानों में खोली गई शाखाओं के संबंध में स्वयं-निर्धारित लक्ष्यों, नियोजित बीसी, 2000 से अधिक एवं 2000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों को कवर करने, बीएसबीडी खाते खोलने, जारी किसान क्रेडिट कार्ड, जीसीसी एवं अन्य लक्ष्यों को कवर करना है। रिजर्व बैंक इन योजनाओं पर मासिक रूप से निगरानी करता रहा है।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे *वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआइपी) को छोटे-छोटे भागों में बांटें और नीचे शाखा स्तर तक जाने दें*। इससे वित्तीय समावेशन प्रयासों में सभी हितधारकों की सहभागिता रहेगी।
- जून 2012 में *वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)* से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। तदनुसार, यह सूचित किया गया कि वाणिज्य बैंकों के समस्त एफएलसी तथा सभी ग्रामीण शाखाएं वित्तीय समावेशन के प्रयास को तेज करें और महीने में कम-से-कम एक बार वित्तीय साक्षरता कैम्प लगाएं ताकि वित्तीय समावेशन को सुलभ बनाया जाए जिसमें दो खास बातें हों अर्थात् 'वित्तीय साक्षरता' तथा सुलभ 'वित्तीय पहुंच'। तदनुसार, मार्च 2013 के अंत तक 718 वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना कर ली गई थी। अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान कैम्पों / चौपाल, सेमिनार एवं व्याख्यानों के माध्यम से जागरूकता पैदा करके कुल 2.2 मिलियन लोगों को शिक्षित किया गया।

[8] यद्यपि भारिबैंक ने आधार कार्ड को पहचान तथा पता दोनों का सुबूत मानते हुए केवाइसी मानदण्डों को उदार बनाया है किंतु अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। प्रसंगवश, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य आधार कार्ड का आग्रह न करें।

वित्तीय समावेशन को और प्रोत्साहन दिया जाए । वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में नवोन्मेषी कारोबार मॉडल में बैंकिंग लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की बारीकी से प्रोसेसिंग करनी होगी। नया बैंक लाइसेंस हासिल करने के लिए वित्तीय समावेशन योजना एक महत्वपूर्ण मानदंड होगी (डॉ. डी. सुब्बाराव)।

- **भारत में बैंकिंग ढांचे के संबंध में चर्चा-पेपर - आगे का मार्ग :** भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2013 में बैंकिंग ढ़ांचे से संबंधित एक चर्चा -पेपर डोमेन पर जनसामान्य के अभिमत के लिए रखा था। उसके मुद्दों में से एक मुद्दा : विभेदीकृत ''बैंकिंग लाइसेंस को लाइसेंस'' था। उसमें ''छोटे बैंक और वित्तीय समावेशन'' को लाइसेंस दिए जाने के विषय पर चर्चा की गई थी। जन सामान्य से प्राप्त सुझावों/अभिमतों को लेने के बाद रिज़र्व बैंक उस पर विचार करेगा।

- इस संदर्भ में यह उल्लेख करना जरूरी है कि शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंक वस्तुत:छाटे वित्तीय बैंक हैं जो देश में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा,तीन-स्तरीय ग्रामीण सहकारी ढांचा है जिसमें शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक,मध्य में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कार्य कर रही हैं,जिनकी संख्या क्रमश: 31,371 और 92,432 है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2013 के अनुसार लगभग 12,225 एनबीएफसी हैं जिन्हें अर्ध-बैंक जैसा माना जा सकता है और जो ऋण/निवेश गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

3.3. वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति

- वित्तीय समावेशन योजना प्रारंभ करने के बाद इसमें हुई प्रगति से पता चलता है कि बैंकों ने बैंकिंग आउटलेट खोल दिए हैं,बीसी की सेवाएं ले रहे हैं,बीएसबीडी खाते खोल रहे हैं,केसीसी और जीसीसीके माध्यम से ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसकी विस्तृत प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दी गई है।

3.3.1. खोली गई शाखाओं की संख्या (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

- रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2005 से किए गए सतत प्रयास से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और शाखाओं की संख्या मार्च 2006 में 68,681 से बढ़कर मार्च 2013 में 1,02,343 हो गई है,जो संपूर्ण देश में फैली हुई हैं (चार्ट 4)।

चार्ट 4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं

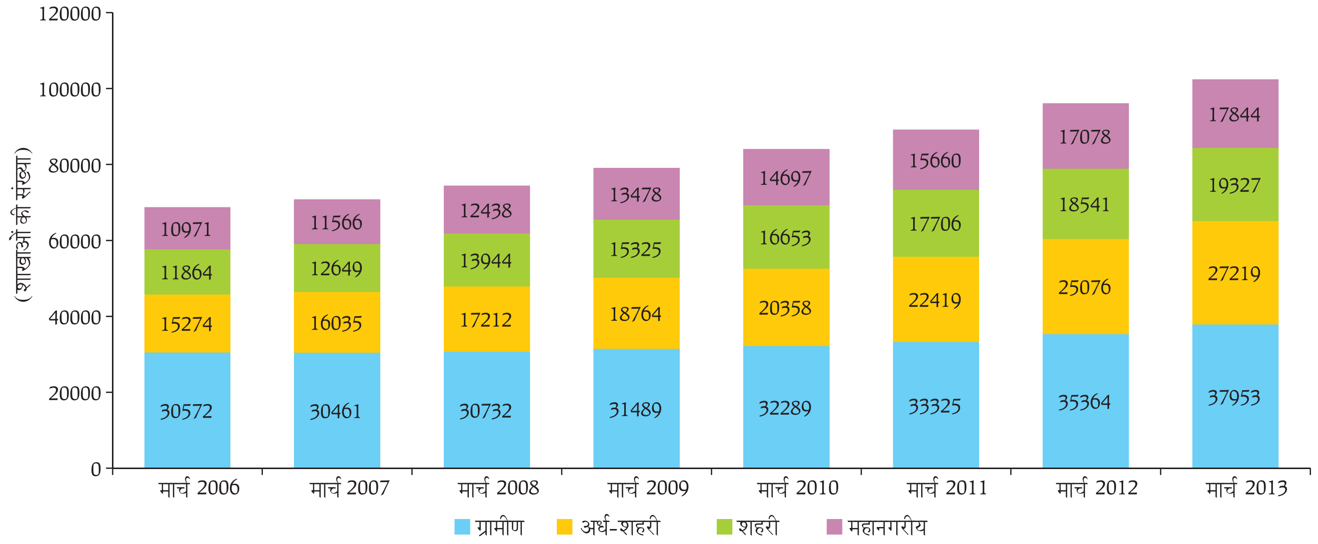

स्रोत : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां,भारिबैं एवं डीएफएस,भारत सरकार

- ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या मार्च 2006 में 30,572 से बढ़कर मार्च 2013 में 37,953 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

3.3.2 कवर किए गए गांव

- 2000 की आबादी से अधिक एवं उससे कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवा केंद्रों की संख्या मार्च 2010 से लगातार बढ़ रही है (चार्ट 5)।

3.3.3 कुल बैंक केंद्र (आउटलेट) (क्षे.ग्रा.बैंक सहित)

- गांवों में बैंक केंद्रों की संख्या मार्च 2010 में 67,694 से बढ़कर मार्च 2013 में 2,68,454 हो गई (तीन वर्ष में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है)। उसी अवधि के दौरान कुल शाखाओं में से, बीसी माध्यम से बैंकिंग केंद्रों की संख्या 34,174 से बढ़कर 2,21,341 हो गई है (लगभग 6.5 गुना की वृद्धि)।

3.3.4 बीएसबीडी खाता खोलना

- खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या मार्च 2010 के 73.45 मिलियन से बढ़कर मार्च 2013 में 182.06 मिलियन हो गई है (चार्ट 6)।

- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे बीएसबीडी खातों पर छोटी राशि की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा प्रदान करें।

चार्ट 5 : कवर किए गए गांव

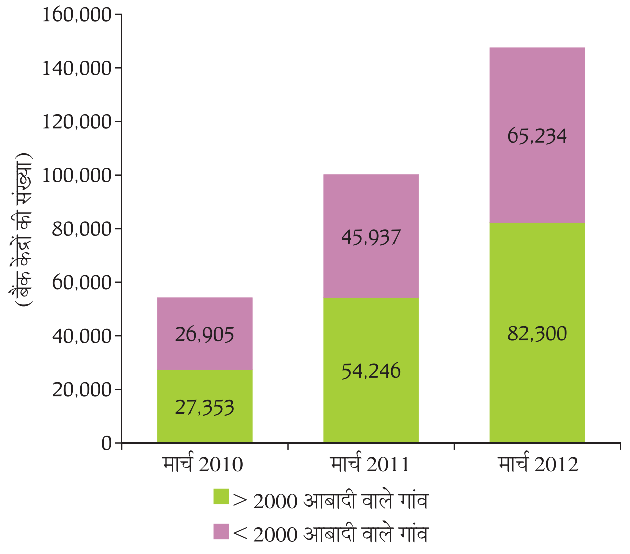

स्रोत : रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

चार्ट 6 : बीएसबीडी खातों की संख्या

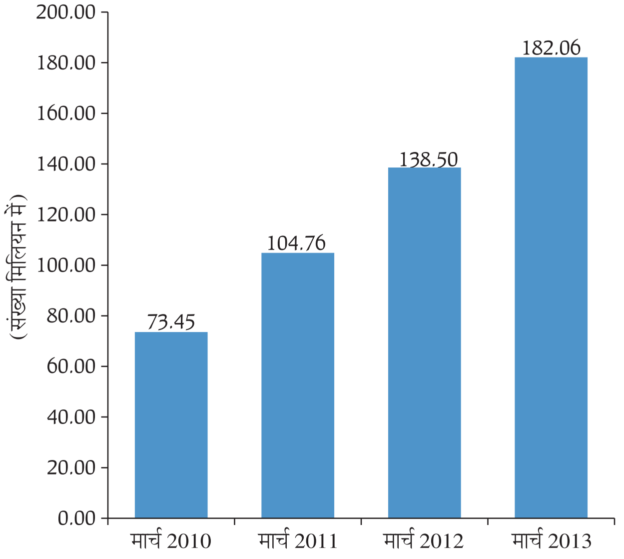

स्रोत : रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

तदनुसार, मार्च 2013 तक 3.95 मिलियन बीएसबीडी खातों में 1.55 बिलियन रुपए की ओडी सुविधा ली गई (यह आंकड़े मार्च 2010 में क्रमशः 0.18 मिलियन और 0.10 बिलियन थे)।

3.3.5 जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे छोटे कृषकों को उनकी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। मार्च 2013 तक किसानों को कुल 33.79 मिलियन कार्ड जारी किए गए जिसपर दिया गया कुल बकाया ऋण 2,622.98 बिलियन रुपए था (चार्ट 7)।

3.3.6 जारी किए गए जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)

- बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में जनरल क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रारंभ करें जिसमें 25,000 रुपए तक की ऋण सुविधा हो। बैंकों ने मार्च 2013 तक 7.63 मिलियन जीसीसी खातों में कुल 76.34 बिलियन रुपए का ऋण प्रदान किया था (चार्ट 8)।

3.3.7 आइसीटी आधारित खाते-कारोबार संपर्की के माध्यम से

- देश के बैंक रहित एवं दूर-दराज के इलाकों में सस्ती दर पर कुशल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को निर्देश दिए थे कि वे कारोबार संपर्की के माध्यम से आइसीटी आधारित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं। आइसीटी

चार्ट 7 : किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

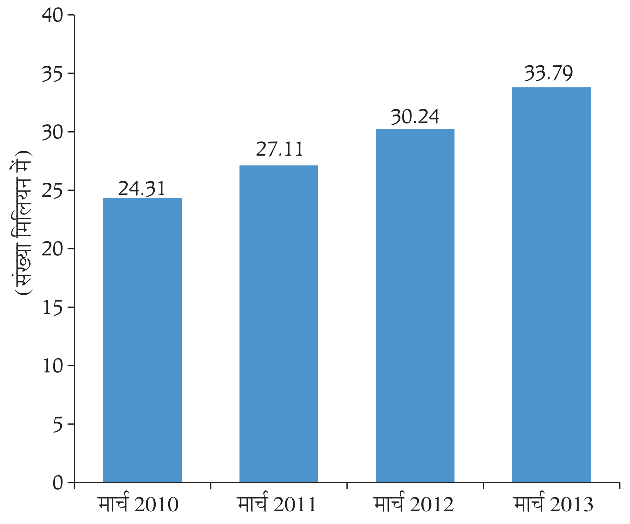

स्रोत : रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

चार्ट 9 : आइसीटी आधारित खाते - कारोबार संपर्की

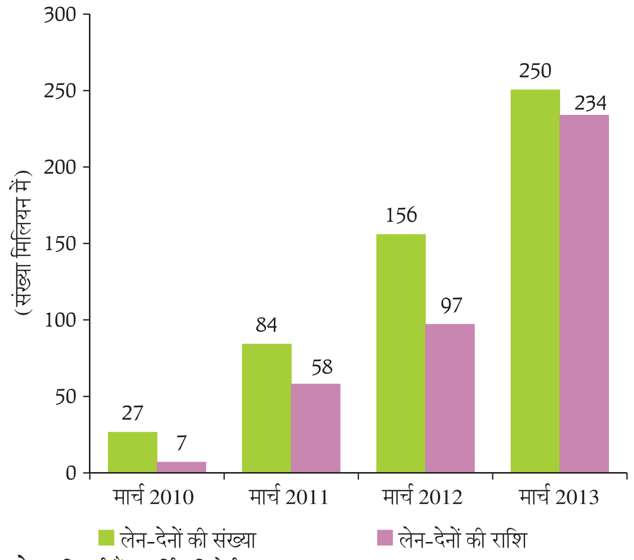

स्रोत : रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट

आधारित बैंकिंग सेवाओं में सीबीएस कनेक्टिविटी होती है जो वित्तीय सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में धन जमा करने और आहरित करने के साथ-साथ समस्त बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है।

- कारोबार संपर्की के माध्यम से आइसीटी-आधारित लेनदेन मार्च 2010 में 26.52 मिलियन थे जो मार्च 2013 तक बढ़कर 250.46 मिलियन हो गए, जिसमें उसी अवधि में लेनदेन की राशि क्रमशः 6.92 बिलियन रुपए से बढ़कर 233.88 बिलियन रुपए हो गयी (चार्ट 9)।

चार्ट 8 : किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

सामान्य उद्देश्य हेतु क्रेडिट कार्ड की संख्या

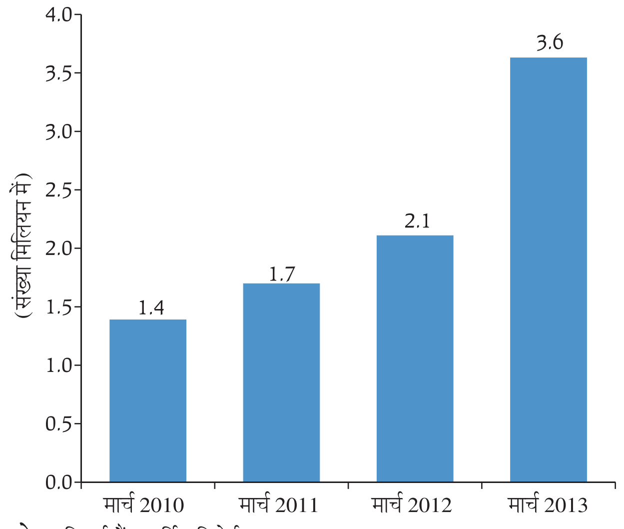

स्रोत : रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

3.3.8 एटीएम नेटवर्क का विस्तार

- ग्रामीण भारत में मार्च 2010 से मार्च 2013 तक एटीएम की कुल संख्या सीएजीआर का 30.6 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में मार्च 2010 में कुल एटीएम 5,196 थे जो मार्च 2013 में बढ़कर 11,564 हो गए (चार्ट 10)।

3.3.9 वित्तीय साक्षरता पहल

- वित्तीय शिक्षण, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता ये तीनों एकसूत्री रणनीति के तीन तत्व हैं जिन्हें डायग्राम में दिखाया गया है। जहां वित्तीय समावेशन का कार्य आपूर्ति पक्ष का कार्य है जिसमें विभिन्न वित्तीय सेवाओं के प्रति पहुंच की उपलब्धता शामिल है वहीं वित्तीय शिक्षण का कार्य मांग-पक्ष का कार्य है जिसके अंतर्गत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता और उसके लाभ के

वित्तीय त्रिपॉड

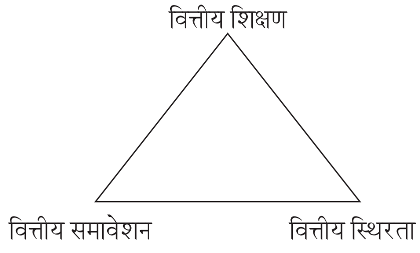

चार्ट 10 : एटीएम नेटवर्क : जनसंख्या समूहवार

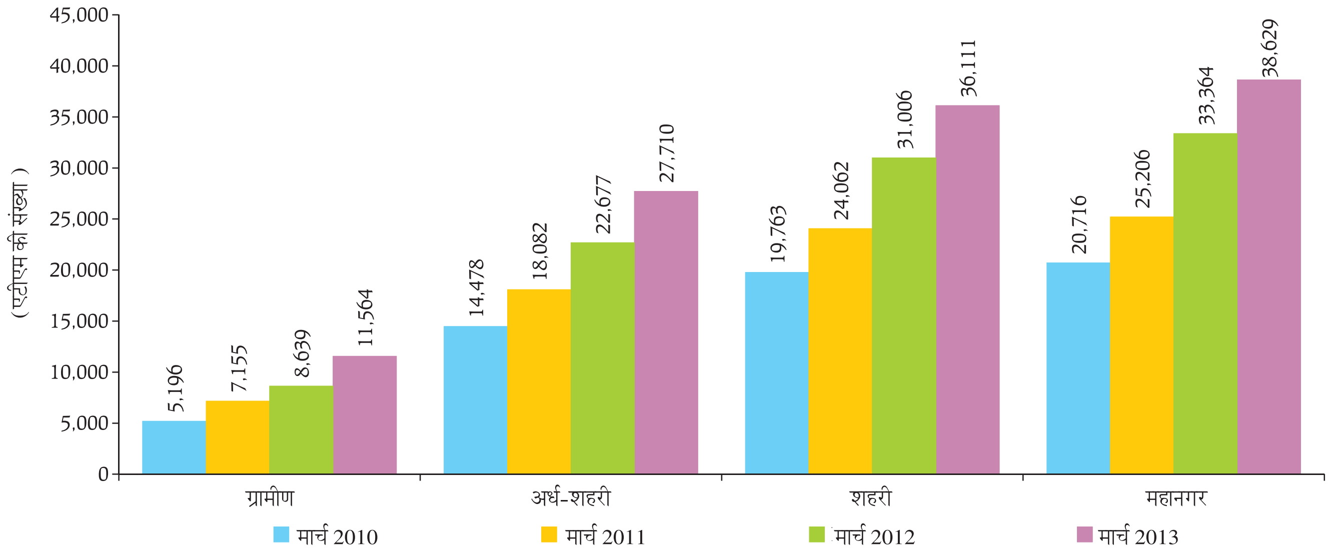

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट

बारे में लागों में जानकारी बढ़ाने का कार्य शामिल है। आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि यही दोनों रणनीतियां बेहतर वित्तीय स्थिरता का संवर्धन करती हैं।

- वित्तीय स्थिरता विकास परिषद ने अनिवार्य अधिदेश दिया है कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता दोनों पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया जाना है।
- रिज़र्व बैंक ने 6 जून, 2012 को वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए । ब्यौरे बॉक्स 1 में दिए गए हैं।

3.3.10 स्वयं सहायता समूह की संबद्धता में वृद्धि

- इस मॉडल की सहायता से बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को किफायती तरीके से वहनीय विकास के अंतर्गत लाया जा सका। मार्च 2011 को 7.46 मिलियन स्वयं सहायता समूहों को बचत से संबद्ध किया गया जिनकी कुल बचत 70.16 बिलियन थी और 1.19 मिलियन स्वयं सहायता समूह को ऋण से जोड़ा गया जिनका कुल ऋण 145.57 बिलियन था (नाबार्ड, भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति)।

3.3.11 म्युचुअल फण्ड निवेश में वृद्धि

- हालांकि रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए बैंकजन्य मॉडल अपनाया है, किंतु कुछ एनबीएफसी आधार स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रयासों को सहायता दे रही हैं, इसलिए सूक्ष्म ऋण में विशेषज्ञता को एनबीएफसी की एक अलग श्रेणी के रूप में एनबीएफसी एमएफआई की मान्यता दी गई है।
- वर्तमान में, रिज़र्व बैंक ने 30 एमएफआइ को अनुमोदित किया है। इनकी परिसंपत्तियों का आकार क्रमशः बढ़ते हुए सितंबर 2013 तक 19,000 करोड़ रुपए हो गया था।

3.3.12 एमएसएमई को बैंक ऋण[9]

- एमएसएमई क्षेत्र रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 59.7 मिलियन लोगों के रोज़गार प्राप्त है और 26.1 मिलियन से अधिक उद्यम हैं। इसे आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। एमएसएमई प्राथमिक रूप से अपने कार्यों के लिए बैंक ऋण पर ही निर्भर हैं।
- मार्च 2006 से मार्च 2012 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया बैंक ऋण सीएजीआर का 31.4 प्रतिशत था। 31 मार्च,

[9] एमएसएमई को विकास का इंजन माना जाता है और इससे देश में समान विकास को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि इसमें रोजगार देने तथा निर्यात करने की भारी संभावनाएं हैं और यह क्षेत्र समाज की बहुत बड़ी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। एमएसएमई क्षेत्र में 59.7 मिलियन लोगों को रोजगार दिया गया है जो 26.1 मिलियन उद्यमों में हैं। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की चौथी जनगणना के आधार पर इस क्षेत्र का विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा 45 प्रतिशत है और देश के कुल निर्यात में इसका हिस्सा 40 प्रतिशत है।

चार्ट 11 : एमएसएमई को बैंक ऋण

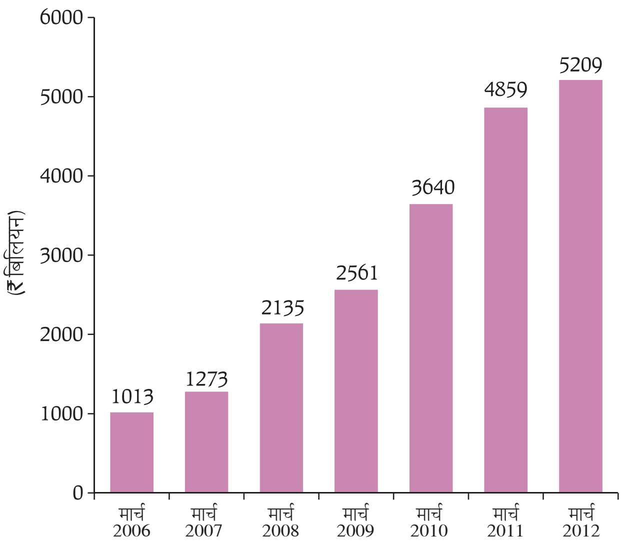

स्रोत : एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 (पृ. 267)

2012[10] को एमएसएमई को दिए गए ऋण में सबसे ज़्यादा हिस्सा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 76 प्रतिशत था, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 20.2 प्रतिशत और विदेशी बैंकों का 3.8 प्रतिशत था (चार्ट 11)।

3.3.13. देश में बीमा सेवा का विस्तार

- कुल बीमा (जीवन और उससे इतर) का विस्तार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम का अनुपात 2000-01 में 2.32 से बढ़कर 2010-11 में 5.10 हो गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीवन बीमा के विस्तार का प्रतिशत 2010-11 में 4.40 था जबकि उसी अवधि में जीवन से इतर बीमा का विस्तार 0.71 था[11] । अन्य शब्दों में, बीमा के विस्तार के लिए अभी भी अनछुई भारी संभावनाएं मौजूद हैं।

3.3.14. देश में ईक्विटी का विस्तार

- इसके अंतर्गत निवेश खातों की संख्या देश की कुल आबादी का बहुत ही मामूली 1.71 प्रतिशत थी[12] ।

3.3.15. वित्तीय समावेशन पहल - निजी कंपनियां

- कुछेक बड़ी निजी कंपनियों ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं जैसे ई-चौपाल/ई-सागर (आईटीसी), हरियाली किसान बाज़ार (डीसीएम), परियोजना शक्ति (एचयूएल) आदि। जैसा कि बताया गया है कि इन अग्रणी योजनाओं में इसमें शामिल लोगों के जीवन में व्यापक सुधार किया है और उनके अधीन क्षेत्रों में आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है, जो बैंकिंग प्रणाली द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों की पूर्व-अपेक्षा है।

भाग - 4

4.1 वित्तीय समावेशन में हितधारकवार मुद्दे

- पिछले भागों में उल्लिखित उपलब्धियों तथा विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों में हितधारकों के साथ हुई हमारी चर्चा, और फ्रंटलाइन प्रबंधकों के साथ हुई हमारी बैठकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हितधारकवार जो अहम मुद्दे हैं उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है जिनपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है :

सारणी 2 : हितधारकवार मुद्दे

क्र.	मुद्दे	टिप्पणी
1)	कारोबार संपर्की (बीसी) : बीसी मॉडल प्रभावी रूप से कार्य कर सके और गांवों के गरीबों तक पहुंच हो, इसके लिए निम्नलिखित समस्या का समाधान करने की जरूरत है : • बीसी की पर्याप्त आय नहीं होती है क्योंकि उन्हें कम आयवाले ग्राहकों को सेवा देनी पड़ती है जिनके लेनदेन बहुत कम होते हैं। बीसी के इष्टतम उपयोग के लिए ताकि वे गांवों के गरीब लोगों तक पहुंच सकें, उन्हें पर्याप्त रूप से हर्जाना देना होगा ताकि वे अच्छी तरह से प्रोत्साहित हों और वित्तीय समावेशन को एक कारोबारी अवसर के रूप में बढ़ावा दे सकें। • बीसी मॉडल की उपयोगिता, शाखा द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन पर निर्भर होती है। बीसी कार्यों पर प्रभावी निगरानी रखने तथा नकदी प्रबंधन के मसलों का हल ढूंढने और ग्राहकों की शिकायतों का ध्यान रखने के लिए बैंकों को शाखा से उपयुक्त दूरी पर पक्के मकान में बैंकिंग सेवा केंद्र खोलना चाहिए। • बीसी के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु बैंकों को उपयुक्त प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की पहल करनी चाहिए।	बैंक
2)	**नपी-तुली सेवाएं** • **नवीन उत्पाद :** यह अत्यधिक जरूरी है कि गांवों के गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नये उत्पाद लाए जाएं। • ग्रामवासियों को साहूकारों से उधार लेने से रोकने के लिए बैंकों को उन्हें ऋण देने का आसान तरीका और उनके प्रोसेसिंग की उदार प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।	बैंक

[10] एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2012-13ए पृ. 267

[11] इरडा

[12] एनएसडीएल/सीडीएसएल आंकड़ों पर आधारित

सारणी 2 : हितधारकवार मुद्दे

क्र.	मुद्दे	टिप्पणी
3)	**प्रौद्योगिकी का उपयोग** :	
	• आईसीटी युक्त वातावरण में, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी ही मुख्य औजार है।	बैंक/क्षे. ग्रा.बैंक/सह. बैंक
	• **एटीएम-नेटवर्क :** 31 मार्च, 2013[13] को देश के कुल एटीएम में से 10.1 प्रतिशत एटीएम नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में था। बैंक, ग्रामीण और बैंक रहित क्षेत्रों में गरीब ग्रामवासियों को सेवा प्रदान करने के लिए एटीएम नेटवर्क बढ़ाएं। ऐसा करते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि इधर हाल के दिनों में यह समस्या पैदा हुई थी।	बैंक/क्षे. ग्रा.बैंक/सह. बैंक
	• **रू-पे-नेटवर्क :** ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे लेनदेन से जुड़ी समग्र लागत को कम करने के लिए स्थानीय रू-पे-कार्ड का इस्तेमाल किया जाए।[14]	
	• **केसीसी/जीसीसी:** बैंकों को चाहिए कि वे केसीसी/जीसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड में बदलें ताकि किसान देश के किसी भी एटीएम से नकदी निकाल सकें। इसके अलावा, बैंक बहु-उद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना का भी पता लगा सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार डेबिट कार्ड, केसीसी और जीसीसी के रूप में कार्य कर सके।	बैंक/क्षे. ग्रा.बैंक/सह. बैंक
	• **मोबाइल बैंकिंग :** ग्रामीण भारत में मार्च 2012 तक 32ः.27 मिलियन[15] मोबाइल ग्राहक थे (ट्राई वार्षिक रिपोर्ट 2012)। देश में मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने विकल्पों की जांच हेतु एवं मोबाइल के किसी भी हैंडसेट से संक्षिप्त संदेश भेजकर धन-अंतरण की सूचना देने की संभावना का पता लगाने के लिए बी. सांबामूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।	बैंक
	• **प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (टीएसपी) :** इसके अंतर्गत टीएसपी बनाम अनेक बैंक के विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।	बैंक
4)	**बीएसबीडी खाता** यह समझा जाता है कि लगभग आधे बीएसबीडी खाते निष्क्रिय हैं। इन खातों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है।	सरकार- केंद्र, राज्य और बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5)	**पीएसी तथा पीसी को बीसी के रूप में उपयोग करना** ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की तुलना में पीएसी का फैलाव बहुत अधिक है। बैंक, इन सहकारी बृहत ग्रामीण नेटवर्क का कारोबारी संपर्की के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल के नाबार्ड के परिपत्र में भी यह लिखा गया है कि सीसीबी/एससीबी के लिए पीएसी का उपयोग बीसी के रूप में किया जा सकता है।	बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सरकार

[13] स्रोत : वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार।

[14] वर्तमान में 85,000 पीओएस टर्मिनल हैं जिनमें रू-पे-कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। अब तक 25 वाणिज्य बैंक, 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 30 शहरी सहकारी बैंकों ने 2 मिलियन से अधिक रू-पे-कार्ड जारी किए हैं।

[15] ग्रामीण भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 9 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है जो मार्च 2007 में 33.14 मिलियन से बढ़कर मार्च 2012 में 323.17 मिलियन हो गई है (स्रोत : ट्राई वार्षिक रिपोर्ट 2011-12)।

सारणी 2 : हितधारकवार मुद्दे

क्र.	मुद्दे	टिप्पणी
6)	**शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन**ः आमतौर पर शहरी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की अपार संभावनाएं होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का स्थान-अंतरण भी इस समस्या को बढ़ाता जा रहा है।	बैंक
7)	**विप्रेषण कोरिडोर** पलायन करके आई हुई आबादी के लिए विप्रेषण की सुविधा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें आसान और सस्ती विप्रेषण सुविधा मुहैया कराना बहुती जरूरी है।	बैंक
8)	**प्रवासियों (माइग्रैंट्स) को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है:** प्रवासियों को बैंक खाता खोलने में पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाणिज्य बैंक अपनी वित्तीय समावेशन योजना में इनकी जरूरतों को शामिल करें।	भारिबैंक और बैंक
9)	**बैंकिंग का मानवीय चेहरा**ः गरीब ग्रामवासियों से व्यवहार करने के उद्देश्य से बैंकों को चाहिए कि वे बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में अपने फ्रंटलाइन स्टाफ, प्रबंधकों तथा बीसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करें।	बैंक
10)	**कृषि अग्रिम** : राज्य सहकारी बैंकों में किसानों के खातों की संख्या मार्च 2006 में 63 लाख थी जो मार्च 2010[16] में बढ़कर 176 लाख हो गई। कुल बैंक ऋण में '5 एकड़ से अधिक' की जमीन रखने वाले किसानों का सबसे अधिक 44 प्रतिशत हिस्सा था। सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों को चाहिए कि वे ऋण मंजूर करते समय बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को वरीयता दें।	बैंक
11)	**सीबीएस प्लेटफार्म का उपयोग बढ़ाना**ः वित्तीय समावेशन के गहन प्रयासों के कारण बढ़ते हुए कार्य को संचालित करने हेतु बैंकों/क्षेग्राबैंक को चाहिए वे उसके लिए सीबीएस प्लेटफार्म का उपयोग करें।	बैंक/क्षेग्राबैंक
12)	**इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी)**ः ईबीटी योजना, समग्र वित्तीय समावेशन का इसकी सहभागिता सहित अभिन्न अंग है, इसलिए बैंकों को ईबीटी प्रणाली को प्रभावी रूप से बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनकी वित्तीय समावेशन योजना तीव्र हो सके।	बैंक
13)	**अत्यधिक लघु शाखा**[17] आधार शाखा और बीसी के बीच एक अत्यधिक छोटी शाखा स्थापित की जाए ताकि 8-10 बीसी को यथोचित दूरी से सहायता प्रदान की जा सके।	नये निजी बैंक/ क्षे.ग्रा.बैंक
14)	**ग्रामीण क्षेत्र की ऋण में कम हिस्सेदारी** : हालांकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या कुल शाखाओं की तुलना में 30 प्रतिशत है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए ऋण का प्रतिशत कुल ऋण के 10 प्रतिशत से भी कम है। सरकार/ बैंकों को चाहिए कि वे रोजगार और अन्य अवसर पैदा करके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऋण लिए जाने की क्षमता के विकास हेतु पहल करें।	बैंक / भारत सरकार

[16] स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था - सांख्यिकी पुस्तिका

[17] ग्रा.आ.ऋण वि.केंका. आरआरबी.बीएल.बीसी./08/03.05.90/13-14

सारणी 2 : हितधारकवार मुद्दे

क्र.	मुद्दे	टिप्पणी
15)	**निजी क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक शाखाएं खोलने की ज़रूरत है** : निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मार्च 2013 में उनकी कुल शाखाओं की तुलना में ग्रामीण शाखाएं केवल 13.3 प्रतिशत हैं (जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 33.1 प्रतिशत है)। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है।	निजी बैंक
16)	**वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्र में क्षे.ग्रा.बैंकों का फैलाव** : यद्यपि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपस्थिति मध्य भारत में (मार्च 2012 को 30.7 प्रतिशत) और पूर्वी क्षेत्रों में (23.1 प्रतिशत) अधिक है, किंतु इन क्षेत्रों में वित्तीय वंचन की स्थिति अधिक गंभीर है।	क्षे.ग्रा.बैंक
17)	**मूलभूत सुविधा का विकास** वित्तीय-समावेशन प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए पर्याप्त मूलभूत सुविधा जैसे - डिजिटल और भौतिक संबद्धता, बाधारहित बिजली की आपूर्ति आदि पहली जरूरत हैं। सूचना के अनुसार, भारत के छह लाख गांवों में से 80,000 गांवों में अभी भी बिजली नहीं है और इसकी वजह से बैंकों के कार्यों पर सीधे प्रभाव पड़ता है।	केंद्र/ राज्य सरकार
18)	**स्थानीय भाषाएं** वित्तीय समावेशन का कार्य अनिवार्य रूप से स्थानीय भाषाओं में किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, सभी प्रकार के फार्म (विधिक फार्मों सहित) स्थानीय भाषा में होने चाहिए, कम-से-कम प्रमुख भाषाओं में अवश्य होने चाहिए। अकोशा[18] के अनुसार जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग, वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और निर्माण सहित) के विरुद्ध 10,506 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।[19] वित्तीय साक्षरता की दिशा में की जाने वाली पहल के रूप में यदि बैंक सामान्य जनता में बैंकिंग का अंग्रेजीदां होने के प्रति भ्रम को दूर करने में सक्रिय रूप से सहायता करें तो शिकायतों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है।	बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं
19)	**निजी कंपनियों की पहल** कुछ बड़ी निजी कंपनियों ने परियोजनाएं प्रारंभ की है जैसे ई-चौपाल/ई-सागर (आईटीसी), हरियाली किसान बाजार (डीसीएम), परियोजना शक्ति (एचयूएल) आदि। सूचना के अनुसार, इन परियोजनाओं ने बड़ी संख्या में इन में सहभागी लोगों के जीवन में सुधार ला दिया है और उनके अधीन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति प्रदान कर दी है। यही चीज बैंकिंग प्रणाली द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की पहली शर्त है।	निजी कंपनियां

[18] उपभोक्ता शिकायत निवारण के संबंध में कार्य कर रही ऑनलाइन कंपनी।

[19] ये शिकायतें एटीएम लेनदेन (कुल शिकायतों का 18.02 प्रतिशत), बीमा उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री (16.30 प्रतिशत), क्रेडिट कार्ड (13.83 प्रतिशत), ऋण)10.88 प्रतिशत), बचत बैंक खाता (11.78 प्रतिशत), चिकित्सा बीमा (8.34 प्रतिशत), डेबिट कार्ड (6.65 प्रतिशत), सामान्य बीमा (4.15 प्रतिशत), मोटर बीमा (3.55 प्रतिशत) और अन्य (6.5 प्रतिशत) से संबंधित हैं।

सारणी 2 : हितधारकवार मुद्दे

क्र.	मुद्दे	टिप्पणी
20)	**डाकघर** : बैंक-शाखाओं की तुलना में डाकघर गांवों के लोगों से अधिक करीब से जुड़े हुए हैं। 31 मार्च, 2011 को भारत के कुल 1,54,866 डाकघरों में से 1,39,040 (89.8 प्रतिशत) डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चारों तरफ से यह प्रयास किए जाने चाहिए कि डाकघरों को और बेहतर एवं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि वे अधिकांश को जानते हैं, इसी वजह से क्रमिक रूप से अधिक से अधिक डाकघरों की बैंकों के कारोबार संपर्की के रूप में सेवाएं ली जानी चाहिए।	भारिबैंक और सरकार
21)	**वाइट लेबल के एटीएम** : भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से ही पात्र निजी संस्थाओं को वाइट लेबल के एटीएम लगाने की अनुमति दी है। इसमें तेजी की संभावना हैं।	भारिबैंक, निजी कंपनियां
22)	**एमएसएमई - वित्तीय वंचन** : एमएसएमई से संबंधित चौथी जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि केवल 5.18 प्रतिशत यूनिटों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) ने वित्तीय स्रोतों से वित्त प्राप्त किया है, 2.05 प्रतिशत ने गैर-संस्थागत स्रोतों से वित्त लिया है। अधिकांश इकाइयों अर्थात् 92.77 प्रतिशत ने कोई वित्त नहीं लिया है या वे स्वयं वित्त की व्यवस्था पर निर्भर हैं। सिडबी को उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि अधिकांश एमएसएमई यूनिटों की औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुंच क्यों नहीं है।	सिडबी / बैंक
23)	**स्वयं सहायता समूह - बैंक की संबद्धता - विस्तार**: हालांकि स्वयं सहायता समूह - बैंक की संबद्धता का मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में सफल है, किंतु भारत में यह समान रूप से नहीं फैला है, इसका विस्तार वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों जैसे मध्य एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में नहीं है।	नाबार्ड
24)	**स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता - बकाया बैंक ऋण :** 31 मार्च 2011 को स्वयं सहायता समूहों को दिए गए कुल ऋण में से बकाया बैंक ऋण केवल 1.93 प्रतिशत था। यह पाया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के एक वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद भी उन्हें बैंक से उनकी गतिविधियों के लिए ऋण नहीं मिल पा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण प्राप्त करने में कतिपय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में नाबार्ड ध्यान दे और रिज़र्व बैंक को सूचित करे।	नाबार्ड
25)	**ग्रामीण भारत के लिए बीमा** : देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। किंतु 3 प्रतिशत से भी कम लोगों तक बीमा की सुविधा पहुंच पाई है। शहरी क्षेत्रों में कड़ी स्पर्धा और बाजार के अपेक्षाकृत चरम सीमा पर पहुंच जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों के लिए जीवन और जीवन से इतर दोनों प्रकार के कारोबारी अवसर बहुत अधिक हैं।	इरडा

सारणी 2 : हितधारकवार मुद्दे *(समाप्त)*

क्र.	मुद्दे	टिप्पणी
26)	**अधिक अनुसंधान की संभावना** : वित्तीय समावेशन में कुछ और भी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अनुसंधान करने की संभावना है जैसे - (क) विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उनकी खास विशेषताओं को देखते हुए उपयुक्त डिलीवरी मॉडल (जिनके बारे में बैंक अभी भी कार्य कर रहे हैं)।	अनुसंधान एजेंसियां
26)	**(ख)** बैंकरहित खण्ड चाहे ग्रामीण हो, शहरी अथवा महानगरीय आज भी काफी हद तक असंगठित क्षेत्र द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन असंगठित क्षेत्र के उत्पादों, प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं के बारे में अनुसंधान करना बहुत जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके और समझा जा सके कि ऐसा क्या है कि निचले स्तर की आबादी इन्हें बहुत सुविधाजनक एवं सहज मानती है। इससे संगठित क्षेत्र - बैंक और वित्तीय संस्थाओं को अपनाने का महत्वपूर्ण छोर मिल सकेगा। (ब) इसके अलावा, अनुसंधान एजेंसियां ग्रामीण भारत में साहूकारों की संख्या के सर्वेक्षण करने के साथ-साथ उनकी अतिशयता के बारे में जानकारी प्राप्त करें।	

भाग 5

निष्कर्ष और भावी दिशा

देश में वित्तीय समावेशन प्रयास के मूल्यांकन के बारे में मैंने जो बातें बताई हैं, अंत में मैं उनमें से कुछ बातों को दोहराना चाहूंगा। मैंने अपनी बात इस विषय के संक्षिप्त परिचय से प्रारंभ की थी और वित्तीय समावेशन की दो प्रमुख परिभाषाएं दी थी। उसके बाद, रिज़र्व बैंक द्वारा की गई नीतिगत पहल तथा वित्तीय समावेशन में हासिल की गई प्रगति तथा उसकी प्रवृत्ति का उल्लेख किया था ताकि यह पता चल सके कि इस समय हम कहां खड़े हैं। हमने वित्तीय समावेशन के बारे में हितधारकों के हिसाब से मुद्दों की पहचान की है और ये हमें हमारे आउटरीच कार्यक्रमों के दौरान तथा फ्रंटलाइन प्रबंधकों के लिए पिछले कुछ वर्षों से आयोजित सम्मेलनों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं। हमारी आशा है और इच्छा भी है कि हमने जो मुद्दे उठाएं हैं उनपर खुलकर बहस और चर्चा होगी जो हमारी इस कोशिश में यहां तक कि नचिकेत मोर समिति जो इस समय वित्तीय समावेशन के समग्र मुद्दों की जांच कर रही है, के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक होगा। इसके अलावा, अनुसंधान में लगे लोग भी वित्तीय समावेशन के इन पहलुओं को और गहराई से देखेंगे ताकि विनियामकों एवं संबंधित हितधारकों को महत्वपूर्ण दिशा मिल सके और देश में यथाशीघ्र सार्थक एवं ईमानदार वित्तीय समावेशन हासिल किया जा सके।

धन्यवाद !

संदर्भ :

आनंद सिन्हा (2012), 'वित्तीय समावेशन और शहरी सहकारी बैंक, पुणे में कॉसमॉस बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के प्रारंभ पर संपादित सामग्री।

के.सी.चक्रवर्ती (2011), "वित्तीय समावेशन और बैंक : मुद्दे और परिदृश्य", रिज़र्व बैंक बुलेटिन, नवम्बर 2011।

के.सी.चक्रवर्ती (2011), "वित्तीय समावेशन : मार्ग जिसपर भारत यात्रा करने की जरुरत है", रिज़र्व बैंक बुलेटिन, नवम्बर 2011।

के.सी.चक्रवर्ती (2012), "वित्तीय समावेशन एवं विकास के लिए एमएसएमई का सशक्तीकरण - बैंकों और उद्योग संगठनों की भूमिका", एसएमई बैंकिंग सभा को संबोधन।

के.सी.चक्रवर्ती (2013), "भारत में वित्तीय समावेशन : अब तक की यात्रा और भावी राह", सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय समावेशन सभा को किए गए संबोधन के मुख्य अंश।

के.सी.चक्रवर्ती (2013), "वित्तीय समावेशन के माध्यम से विकास के इंजन को पुनर्जीवित करना", मुंबई में आयोजित 32वें स्कॉच सम्मेलन का व्याख्यान।

वी. लीलाधर (2005), "बैंकिंग सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचाना - वित्तीय समावेशन", एर्णाकुलम में फेडबैंकहार्मिस स्मारक फाउंडेशन स्मृति व्याख्यान।

मीरा मेंडोजा (2009), "सूक्ष्म वित्त द्वारा वित्तीय वंचन समाधान मध्यप्रदेश, भारत से सीखा गया पाठ", इंटरनेशनल पॉलिसी साल्यूशन जर्नल, अंक-11, पृ.25-35।

नारायणचंद्र प्रधान (2013), "ग्रामीण भारत में अनौपचारिक ऋण का बने रहना अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण के साक्ष्य और उससे आगे", रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला, डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर) : 5/2013

राधिका दीक्षित और एम. घोष (2013), "भारत में समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च, भाग-3, अंक-1, पृ. 147-156

सी. रंगराजन (2008), "वित्तीय समावेशन से संबंधित समिति की रिपोर्ट"।

रघुराम जी. राजन (2009), "सौ छोटे कदम- वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित समिति की रिपोर्ट"।

भारतीय रिज़र्व बैंक - 'वार्षिक रिपोर्ट' और 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट', विभिन्न मुद्दे।

सधन कुमार चट्टोपाध्याय (2011), "भारत में वित्तीय समावेशन : पश्चिम बंगाल का अध्ययन", भारिबैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला, डब्लू पीएस (डीईपीआर) : 8/2011.

ए.एन. सरकार (2013), "वित्तीय समावेशन भारत में वहनीय आर्थिक विकास की देन"।

द बैंकर, अंक VIII, सं.4 पृ.44-53

ए.एन. सरकार (2013), "वित्तीय समावेशन भाग II : भारत में वहनीय आर्थिक विकास की देन"।

द बैंकर, अंक VIII, सं 5, पृ. 32-40 ।

भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति : 2010-11, नाबार्ड ।